उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-3/2021/217/एक-1-2020-रा0-1
लखनऊ: दिनॉक: 10 फरवरी, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 219 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 101 की उपधारा 2 के परन्तुक में वर्णित राज्य सरकार की शक्ति, ऐसी दशा में जहां शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, पी0पी0पी0 माडल पर निजी मेडिकल कालेजों की स्थापना तथा ऐसी निवेश परियोजनाएं जिन्हें शासन की विभिन्न नीतियों में लेटर आफ कम्फर्ट जारी हो चुका है, के प्रकरणों में चकरोड व नाली इत्यादि की भूमि का विनिमय किया जाना प्रस्तावित हो, मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधानित करते हैं।

आज्ञा से,
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 217(1)/ एक-1-2020-रा0-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त।
3- समस्त जिलाधिकारी।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in